201

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)</u>

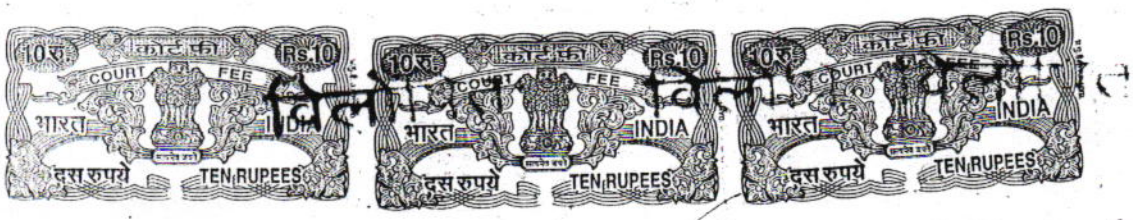

निग -2325-II-16

1. बृजेन्द्र प्रसाद तनय श्री जगदीश प्रसाद पाठक

2. सुरेश प्रसाद तनय श्री जगदीश प्रसाद पाठक

दोंनो निवासी ग्राम खड्डा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

----आवेदकगण

विरुद्ध

1. रमेश प्रसाद पाठक तनय श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम खड्डा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

2. कौशलेन्द्र प्रसाद तनय जगदीश प्रसाद पाठक

3. दिनेश प्रसाद तनय जगदीश प्रसाद पाठक

4. रावेन्द्र प्रसाद तनय जगदीश प्रसाद पाठक

5. चन्द्रमौलि तनय स्व0 केशव प्रसाद

6. इन्द्रमणि तनय स्व0 केशव प्रसाद

7. दीष नारायण तनय स्व0 केशव प्रसाद

सभी निवासी ग्राम खड्डा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

8. श्रीमती सुशीला उर्फ निर्मला पत्नी नर्वदेश्वर पाठक

9. श्रीमती उमा देवी पत्नी दिनेश प्रसाद शुक्ला तनय स्व0 नर्वदेश्वर प्रसाद पाठक दोनों निवासी मकान नं-925 गली नं-12 दुर्गा मंदिर के सामने जबलपुर म0प्र0

----अनावेदकगण

सुरेश प्रसाद पाठक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** निगरानी 2325–दो/16 **जिला** –रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षक। आदि | एवं अभिभा हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 18.7.16 | आवेदक के अधिवक्ता के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। अनावेदक केवियेटकर्ता की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव एवं श्री आई0 पी0 द्विवेदी अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क ग्राह्यता पर सुने गये। आवेदक अधिवक्ता ने यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु0 के प्रकरण कमांक 11/अ–27/120–11 में पारित आदेश दिनांक 13.4.15 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>2–प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम जिवला में स्थित भूमि आवेदक सुरेश प्रसाद पाठक के भूमि खसरा न0 1274 रकवा 0.081 है0, खसरा न0 1275 रकवा 0.285 है0 खसरा 1205 रकवा 0.648 है0 जो कि आवेदक के हिस्से व कब्जे की भूमि है, जिसका बटनवारा नामांतरण के लिये आवेदन विधिवत प्रस्तुत किया था, मौके की स्थिति व कब्जे के अनुसार बटनवारा में पुल्ली हल्का पटवारी से लिया गया। बटनवारा में रमेश प्रसाद पाठक व उमादेवी पुत्री नर्मदेश्वर के द्वारा आपत्ति पेश की, लेकिन शेष अनावेदकगण की तरफ से कोई आपत्ति पेश नहीं की । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उमादेवी पुत्री नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा शपथ पत्र देकर बटनवारा में सहमति दी गई ।<br>3– प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकरों के मध्य सन् 1956 में आवेदकगण के पिता व अनावेदकगणों के पिता का बटनवारा हुआ था, अपने अपने हिस्से व कब्जे वाली भूमि में काबिज है। धर्मदास ब्राम्हण के सभी पुत्रों के बीच आपसी | | |

बटनवारा सन् 1956 में हो गया था धर्मदास के पांच पुत्र थे। सुरसरी प्रसाद को ग्राम उमरी की भूमि हिस्से में मिली जगदीश प्रसाद को ग्राम खडड़ा, खाम्हा व जिवला में हिस्सा मिला । विध्येश्वरी प्रसाद को ग्राम खडड़ा की भूमियां मिली , नर्मदेश्वर प्रसाद पाठक को ग्राम खम्हां व जिवला की भूमियां हिस्से में मिली । सुरसरी प्रसाद कुल खानदान के मालिक /मुखिया थे, क्यों कि सुरसरी प्रसाद को ग्राम उमरी की भूमि हिस्से में 10 एकड़ मिली थी राजस्व रिकार्ड अधिकार अभिलेख की प्रविष्ट से पुष्टी होती है। विचारण न्यायालय में उल्लेखित भूमियां सुरेश प्रसाद के हिस्से की थी। मौके से भूमियों को कब्जा दखल भी सुरेश प्रसाद का है। इसलिये बटवारा में सहमति दी गई थी। अनावेदकगण कमांक–1 रमेश प्रसाद पाठक का उपरोक्त भूमियों में कोई हक व अधिकार नहीं था । रमेश प्रसाद ने अपील प्रकरण लंबित होने के दौरान तहसीलदार के न्यायालय से जो कभी वसीयत का हवाला देकर आदेश करया वह आदेश अवैध एवं अधिकार विहीन है, जो स्वमेव निरस्ती योग्य है, क्यों कि वरिष्ठ न्यायालयों में जब उन्हीं भूमियों के बावत मामला लंबित है तो ऐसी स्थिति विचारण न्यायालय में मामला नहीं चल सकता, जो भी तथ्य हो वह सब अपील जहां लंबित है वहां उठाना चाहिये। विचारण न्यायालय में जो पक्षकार के कुसंयोजन का आधारलिया है वह गलत है क्यों कि यदि पक्षकार के कुसयोंजन है तो उसे सुधार करवा लेने का भी दायित्व है, और फिर सुनवाई करना चाहिये । यदि पटवारी की पुल्ली त्रुटिपूर्ण है तो उस पर पक्षकरों से आपत्ति लेकर उसे सही करने का दायित्व के अलावा कर्तव्य भी होता है । सुरसरी प्रसाद ने अपने जीवन काल में अपने संपूर्ण चल व अचल संपत्ति का वसीयत आवेदक सुरेस प्रसाद के नाम कर गये थे। सुरसरी प्रसाद की सेवा सुरेश प्रसाद के द्वारा की गई थी। यदि खसरे में हिस्सा

दर्ज नहीं है और कोई पक्षकार हिस्सा स्पष्ट कराने के लिये व्यवहार न्यायालय में नही जाता तो इसका निर्धारण भी विचारण न्यायालय को करने का दायित्व है। यदि इस प्रकार से आपत्तियों पर आवेदन निरस्त किया जायेगा और अपीलीय न्यायालय इस आदेश को यथावत रखेगी तो आवेदन लेकर खातेदार कहां जायेगा । यह सोचनीय द्वितीय अपीलीय न्यायालय यने आवेदकगण के द्वारा पेश लिखित तर्क एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया है जो विधि प्रकिया व धारा 44 (2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधान के विपरीत होने निरस्त किये जाने योग्य हैं विचारण न्यायालय में जो बटनवारा पुल्ली पटवारी के द्वारा प्रस्तुत की उसी के आधार पर नामांतरण की स्वीकृति दिये जाने का निवेदन किया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रत्यावर्तन की अधिकारिता राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2011 में समाप्त कर दी गई है, ऐसी स्थिति में जो विचारण न्यायालय बटनवारा पुल्ली पेश थी और अनावेदकगणों की सहमति थी तथा कुछ अनावेदकगणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सहमति दी है। इन सब त्यों व दस्तावेज को अधीनस्थ न्यायालय को गौर करना चाहिये । इसी प्रकार तहसील गुढ़ की भूमि सर्वे न0 416 रकवा 3.12 एकड़ सर्वे न0 413 रकवा 1.01 एकड़ सुरेश प्रसाद के हिस्से की है। रमेश के हिस्से की नहीं है । आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय में रमेश ने अपनी आपत्ति व जबाव में वसीयत का जिक नहीं किया था। रमेश प्रसाद ने प्रकरण कमांक 43/अ–27/93–94 में आदेश दिनांक 24.2.94 का हवाला देकर फर्जी इन्द्राज खसरे में अपने नाम करा लिया था जबकि उक्त भूमियों में रमेश प्रसाद का हिस्सा किसी भी रूप में नहीं होता था। तहसीलदार तहसील गुढ़ के कार्यालय में

उक्त प्रकरण की नकल के लिये आवेदन दिया गया जिसमें रीडर गुढ़ के द्वारा टीप लगाई गई की उक्त प्रकरण तहसील न्यायालय में दर्ज होना नहीं पाया जाता, जिससे स्पष्ट है कि रमेश प्रसाद ने फर्जी इन्द्राज भूमि न0 415, 416, 413 स्थित खडड़ा की भूमियों का अपने नाम करा लिया है जो फर्जी है। रमेश प्रसाद ने अपने हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड पत्र कमांक 8/2211 दिनांक 17.6.15 को डा0 कैलाश प्रसाद तिवारी को विकी किया इसके पहले शिवशंकर तिवारी को दिनांक 11.12.13 को विकी किया श्रीमती ललिता सिंह को दिनांक 11.2.09 कमांक 4316 को बेचा इसके पहले भी एक विकय पत्र दिनांक 16.12.08 को ललिता सिंह को विकी किया था। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि में अनावेदक कमांक–1 का कोई हक व अधिकार नहीं है क्यो कि पूर्व में बटनवारा हो चुका है तथा अपने अपने नाम भूमियां कराकर विकी की गई है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से निगरानी को बल मिलता है । परिणमस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है । अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 25.6.16 निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालयों में आपसी बटनवारा पुल्ली दिनांक 22.10.10 के अनुसार बटनवारा किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य